UPAG010020632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–979/2026

गुरदीप सिंह पुत्र श्री पुत्तू सिंह निवासी–60ए, जयरामबाग, दयालबाग थाना न्यू आगरा, जिला आगरा मूल पता–ग्राम बहादुरपुर, थाना लवेदी, जिला इटावा उम्र करीब 30 वर्ष।

. ..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 811/2023
धाराः 420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0
थाना–सिकन्दरा, जिला आगरा।

दिनांक 28.03.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त गुरदीप सिंह की ओर से मु0अ0सं0 811/2023 अन्तर्गत धारा– 420, 467, 468, 471, 120बी भा0दं0सं0 थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई प्रदीप सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्र0सू0रि0 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उसके द्वारा 5 चैक जिसमें प्रश्नगत चैक भी शामिल है आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक संजय प्लेस, आगरा में लोन कराते समय अन्य प्रपत्रों के साथ जमा कर दिये गये थे। इस तरह जो चैक बैंक में जमा हो गये उसका कोई सम्मन व सरोकर उससे नहीं रहा। प्र0सू0रि0 के अनुसार प्रश्नगत चैक सं0 183803 मु0 70,000/– का दिनांक 12.07.2023 को धयन्ती देवी निवासी सी–235, हीरो होण्डा एजेन्सी के पीछे, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा द्वारा अपने खाते में जमा कर रूपये प्राप्त किये गये हैं जबकि उसका धयन्ती देवी से

कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्र0सू0रि0 के अनुसार उसके द्वारा कोई भी रकम किसी तरह की प्राप्त नहीं की गयी है। वह ईमानदारी से काम करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसका कोई भी सम्बन्ध व सरोकार प्र0सू0रि0 में वर्णित घटना से नहीं है। वह एक प्राईवेट आदमी है जिसका कोई भी एक्सिस आई0सी0आई0सी0आई0 में जमा प्रपत्रों तक नहीं होता है। वह उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है उसके भागने का अथवा गवाहों को धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। वह समाज का संभ्रान्त नागरिक है उसे किसी भी न्यायालय द्वारा कभी किसी वाद में दण्डित नहीं किया गया है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उसकी बैंक केनरा बैंक के खाते के पांच चैक, बैंक के एजेंटों को दिनांक 05.27.2022 को दिये गये थे। दिनांक 12.07.2023 को धयंती देवी द्वारा कूटरचित प्रपत्र तैयार करते हुए उसके खाते से पांच चैकों में से एक चैक, चैक संख्या 183803 के माध्यम से मु0 70,000 रूपये निकाल लिये गये। जब कि उसके द्वारा चैक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में ऋण स्वीकृत कराने हेतु गुरदीप, मनीष एवं अंकित को एक वर्ष पूर्व दिये गये थे। उक्त तीनों व्यक्तियों से इस वाबत बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऋण स्वीकृत करते समय सभी चैक अन्य प्रपत्रों के साथ बैंक में जमा कर दिये गये थे। उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर षडयंत्र करते हुए कूटरचित प्रपत्र तैयार कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.07.2023 व 14.07.2023 को लक्ष्मी ऑटो मोटर्स के पास स्थित ए0टी0एम0 से मु0 70,000 रूपये विभिन्न समयों में निकाले गये हैं।

वादी की तहरीर पर थाना सिकन्दरा, आगरा पर अभियोग मु0अ0सं0 811/2023 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, आगरा के तर्को को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ छल करते हुए बैंक ऋण हेतु प्राप्त चैकों में से एक चैक के माध्यम से मु0 70,000 रूपये निकालकर धनराशि का

बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया जाना आक्षेपित है।

वादी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करने के उपरान्त, प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

वादी लखपत गोला द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त गुरदीप सिंह कथित बैंक में कार्यरत होना एवं उसके द्वारा वादी से ऋण के परिप्रेक्ष्य में चैक प्राप्त किया जाना एवं प्राप्त किये गये चैकों में से एक चैक को बैंक में प्रस्तुत कर वादी के खाते से मु0 70,000 रूपये अन्तरित कराकर, उक्त धनराशि को ए0टी0एम0 के माध्यम से आहरित किया जाना आक्षेपित है।

केस डायरी में संलग्न बैंक खाते के विवरण के अनुसार दिनांक 13.07.2023 को वादी के खाते से मु0 70,000 रूपये धयंती देवी के खाते में अन्तरित हुए हैं, जिनको ए0टी0एम0 के माध्यम से आहरित किया जाना कहा गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप व्यापक एवं गंभीर प्रकृति का है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गुरदीप सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
28.03.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.03.31 15:22:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court